राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

प्रथम तल, ब्लॉक-6, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

rajssaquality@gmail.com
Ph-2701596

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/ईसीसीई/2018-19 5839

दिनांक : 31/8/18

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि/प्रा.शि.),
समस्त जिले।

विषयः-जन सहयोग से विद्यालयों में समन्वित आंगनबाडी केन्द्रों में एक खिलौना बैंक की स्थापना बाबत्।

राजस्थान सरकार राज्य में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इसी क्रम में आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा संचालित ईसीसीई के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता सुनिश्चित करने एवं तीन वर्ष की आयु से ही बच्चों की शिक्षा की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के 500 मीटर की परिधि में संचालित समस्त आंगनबाडी केन्द्रों को समन्वित किया गया है

आंगनबाडी केन्द्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के समग्र विकास हेतु खिलौना बैंक की उपयोगिता महसूस की गई है।माननीय शिक्षा राज्यमंत्री द्वारा जन सहयोग से विद्यालयों में समन्वित आंगनबाडी केन्द्रों में एक खिलौना बैंक की स्थापना हेतु धोषणा की गई है। अतः समन्वित आंगनबाडी केन्द्रों के प्रधानाध्यापक/संस्थाप्रधानों को सामुदायिक सहयोग/जनसहयोग से आंगनबाडी केन्द्रों में एक खिलौना बैंक की स्थापना हेतु आदेशित करें। स्थापित किये जाने वाले खिलौना बैंक में आंगनबाडी केन्द्रों के बच्चों के खेलकूद हेतु Large and Small Balls, rings, bucket, mugs, containers, equipment for climbing & jumping, puzzles, फल-सब्जी की आकृतियाँ, अन्य खिलौने इत्यादि की उपलब्धता हेतु प्रयास किये जाए।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा को क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राजय परियोजना निदेशक-प्रथम

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एव भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
5. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
7. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
8. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम व द्वितीय), समग्र शिक्षा अभियान जयपुर।
9. निजी सहायक, अति. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
10. बीईईओ, समस्त ब्लॉक।
11. पीईईओ, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम